| | |
|---|---|
| 20.1.25 | पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उप.। दावा बाजी राजीनामा अनुसार स्वीकार किया गया। निर्णय भरे इजलास सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा. पत्रा. किया गया। पत्रावली तकमीली न. से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। |

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा।

## बइजलास श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 28 / 2010 / दावा

1.जानकीबाई पत्नि स्व. हीरालाल पुत्र वधु स्व.बद्रीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा।

2.पुरुषोत्तम पुत्र स्व. हीरालाल पौत्रस्व.बद्रीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा।

3.रामस्वरुप पुत्र स्व. हीरालाल पौत्रस्व.बद्रीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा।

4.उर्मिला पुत्री स्व. हीरालाल पौत्री स्व. बद्रीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा।

5.शीला बाई पुत्री स्व. हीरालाल पौत्री स्व. बद्रीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा।

–वादीगण–

बनाम

1. ब्रजमोहन पुत्र रामगोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम आंवा तहसील कनवास जिला कोटा राज.।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
3. इन्द्राबाई बेवा चम्पालाल जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी ग्राम बामला जिला बांरा राज.।
4. महेश कुमार पुंत्र चम्पालाल जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी ग्राम बामला जिला बांरा राज.।
5. पवन कुमार पुत्र चम्पालाल जाति धाकड निवासी ग्राम चतरपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी ग्राम बामला जिला बांरा राज.।

–प्रतिवादीगण–

**वादपत्र अर्न्तगत धारा 88,89,209,राजस्थान काश्तगारी अधिनियम 1956 व इन्द्राज दुरुस्ती**

उपस्थित :–

1.श्री चेतनप्रकाश सुमन एडवोकेट (वकील वादीगण)

2.श्री बाबूलाल अरविन्द एडवोकेट (वकील प्रतिवादी कं 3 ता 5)

3.श्री पैरोकार सरकार

## ––::निर्णय::––

वादीगण ने इस न्यायालय मे एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि मुताबिक जमाबंदी संवत् 2065–68 अनुसार ग्राम डोबडा पटवार क्षेत्र दीगोद भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान नई केवट संख्या 54 पुरानी केवट संख्या 53 की कृषि भूमि आराजीयात खसरा नम्बर 550 की रकबा 0.22 हैक्टर चाही द्वितीय, खसरा नम्बर 551 की रकबा 0.36 हैक्टर चाही द्वितीय, खसरा नम्बर 552 की रकबा 0.01 हैक्टर गे.मु.कुआ, खसरा नम्बर 553 की रकबा 3.91 हैक्टर चाही द्वितीय,कुल किता 4 की कुल रकबा 4.50 हैक्टर लगानी 121 रुपया 23 पैसा की आराजीयात स्थित है। सुविधा की दृष्टि से इन आराजीयात को दावे मे वाद ग्रस्त आराजीयात के नाम से पुकारा गया है, नकल जमाबंधी ग्राम डोबडा सम्वत् 2065 से 2068 दावे मे हमराह पेश है, विवाद ग्रस्त आराजीयात वादीनी नम्बर 1 के ससुर एवं वादीगण नम्बर 2 लगायत 5

.........2

उपखण्ड अधिकारी

के दादाजी(ग्राण्ड फादर) श्री बदरीलाल ने दिनांक 30.5.1961 मे प्रतिवादी नम्बर 1 से 800 रुपये मे खरीदकर 400 रुपये प्रतिवादी कम 1 को उसी समय अदा कर दिये, और प्रतिवादी कम 1 ने कब्जा आराजी उन्हे संभला दिया प्रतिवादी नम्बर 1 ने स्वंय एक तहरीर पांच रुपये के स्टाम्प पर उनके ह कमे लिख दी शेष 400 रुपये भी बदरी लाल जी ने प्रतिवादी नम्बर 1 को दिनांक 16.6.1964 को अदा कर दिये जिसकी तहरीर भी प्रतिवादी कम 1 ने बदरीलाल जी के हक मे लिख दी, इस तरह से दिनांक 30.5.1961 से विवादग्रस्त आराजीयात निरन्तर सिलसिलेवार बदरीलाल-हीरालाल और अब वादीगण के कब्जे,काश्त व उपयोग उपभोग मे बगैर किसी बाधा के चली आ रही है,विवादित आराजीयात लगभग पोने उनचास सालो से बदरी लाल के जमाने से हम वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त तथा अधिकार पूर्ण उपयोग व उपभोग मे प्रतिवादी नम्बर 1 ग्राम वासीयान डोबडा राजस्वकर्मियो तथा साथी की जानकारी मे वादीगण के कब्जे काश्त मे चली आ रही है, लगान राज भी वादीगण ही अदा कर रहे है, वादीगण दोनो तरह की फसले यानि स्यालू और उन्हालु फसले बो रहे है और उपज प्राप्त कर रहे है,अभी भी हमने स्यालू मे सोयाबीन की फसल प्राप्त करने के बाद उन्हालु की फसल गेहू धनिया सरसो बोई और इन फसलो की उपज प्राप्त की है, इस तरह से वादीगण विवादग्रस्त आराजीयात का उपयोग व उपभोग अधिकार की भांति खातेदार टीनेन्ट की तरह कर रहे है, उनका कब्जा मुखालफाना लगभग पोने उनचास साल और जाइदअज बारह सालो से अधिक का होने से वादीगण का कब्जा मुखालफाना मुकम्मल हो गया है, वादीगण का स्टेटस इन आराजीयात मे खातेदार अीनेन्ट्स का हो गाया है और कानूनन वादीगण विवादग्रस्त आराजीयात के खातेदार टीनेन्ट्स हो गये है, वादीगण को इस आशय की घोषणा करवाने तथा सम्बधित राजस्व रिकोर्ड मे दुरस्ती करवाकर अपने नामो का अकंन बतौर खातेदार टीनेन्ट्स करवाने की पात्रता प्राप्त है, प्रतिवादी कम 1 को विवादग्रस्त आराजीया तमे जो भी टीनेन्सी राइट्स थे वो उन्होने 30.501961 को ही बद्रीलाल के हक मे मुन्तकिल कर दिये है, और दिनांक 30.5.1961 के बाद से आज दिन तक आराजीयात पर कभी भी प्रतिवादी नम्बर 1 का किसी भी रुप मे कब्जा नही रहा है,प्रतिवादी नम्बर 1 का दिनांक 30.5.1961 से विवादग्रस्त आराजीयात से कोई सम्बन्ध या सरोकार नही रहा है किंतु रिकार्ड मे प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम अंकन चल रहा है,जिसे हटवाने एवं उनके स्थान पर अपने नामो का अंकन करवाने की वादीगण को पात्रता प्राप्त है,वाद कारण दिनांक 18.1.2010 को पैदा हुआ,जबकि वादीगण नम्बर 2 व 3 पटवारी जी के पास गये उनसे विवादग्रस्त आराजीयात वादीगण के खातेदारी मे दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया तो उन्होने माननीय न्यायालय हाजा मे कार्यवाही करने हेतु कहा इसलिए वाद वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है और वादीगण द्वारा राजस्थान सरकार को आवश्यक पक्षकार होने से जर्ये तहसीलदार पक्षकार बनाया गया है,माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे होने से श्रवणाधिकार प्राप्त है,और उक्त वाद अवधि मध्य उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है,वादीगण के द्वारा दावा वादीगण मय खर्चा स्वीकार एवं डिकी फरमाया जावे की वादीगण को दावे की मद नम्बर 1 मे वर्णित विवादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 550,551,552,553,कुल किता 4 की कुल रकबा 4.50 हैक्टर,वाके ग्राम डोबडा पटवार क्षेत्र दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जावे एवम् सम्बधित राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी कम 1 नाम हटाये जाने और उनके स्थान पर वादीगण के नाम का अंकन बतोर खातेदार टिनेन्ट दर्ज किये जावे, उपरोक्तानुसार रेकार्ड मे दुरस्ती किये जाने के आदेश प्रदान करे।

वाद पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया बाद तलबी प्रतिवादी कम 1 की ओर से वकालत नामा प्रस्तुत किया गया दिनांक 30.8.2010 को प्रतिवादीकम 3,4,5 की ओर से आदेश 1 नियम 10 का प्रार्थना पत्र पेश हुआ प्रार्थना पत्र का जवाब 25.3.2011 को वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया, दिनांक 16.11.2013 को आदेश 1 नियम 10 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया, दिनांक 23.11.2011 को संशोधित शीर्षक वादी के द्वारा अवधि मध्य प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार किया गया,प्रतिवादी कम 3 ता 5 का दिनांक 1.5.2012 को जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत हुआ, जिसमे वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित कुल 4 किता की 4.50 हैक्टर स्थित होना स्वीकार किया,वाद पत्र की मद न0 2 स्वीकार नही है, स्व. बद्रीलाल जी ने वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित आराजीयात को प्रतिवादी न0 1 बृजमोहन से दिनांक 30.5.1961

.........3

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

को कय किया था उक्त आराजीयात के कय करने से उक्त आराजीयात पर जब तक बद्रीलाल जी जिन्दा रहे तब तक उक्त आराजीयात पर होकर काश्त किया तथा उनकी मृत्यु के बाद हम प्रतिवादीगण व वादीगण ही बद्रीलाल जी के वारिसान है,काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है, वाद पत्र की मद न0 3 मिथ्या मनगढत व बनावटी होने से स्वीकार नही है,उक्त वर्णित आराजीयात बद्रीलाल जी द्वारा कय करने के बाद से बद्रीलाल जी व बद्रीलाल जी की मृत्यु के बाद उनके लडके हीरालाल व चम्पालाल तथा उनकी मृत्यु के बाद हम प्रतिवादीगण 3 ता 5 व वादीगण आधी आधी आराजीयात 1/2–1/2 हिस्से की आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा लगान भी लगातार अदा करते चले आ रहे है तथा उक्त वर्णित आराजीयात पर सोयाबीन गेहू धनिया सरसो इत्यादि फसले लेते आ रहे है इसलिए उक्त वर्णित आराजीयात पर हम प्रतिवादीगण 3 लगायात 5 व उनके पूर्वज चम्पालाल जी व बद्रीलाल जी लगातार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है इसलिए लम्बे अरसे से काबिज होकर लगातार काश्त करते रहने से उक्त आराजीयात मे से 1/2 हिस्से की आराजी पर कानूनन हम प्रतिवादीगण 3 ता 5 खातेदार टिनेन्ट होने के अधिकारी है,इसलिए उक्त वर्णित आराजीयात के 1/2 हिस्से पर हम प्रतिवादीगण 3 लगायत 5 को खातेदार घोषित किया जाना कानूनन आवश्यक हो गया है वाद पत्र की मद न0 4 अस्वीकार है हम प्रतिवादीगण 3 लगायत 5 के पूर्वज स्व0 बद्रीलाल जी द्वारा दिनांक 30.5.1961 को उक्त आराजीयात कय करने के बाद से आज दिन तक बद्रीलाल जी,बद्रीलाल जी की मृत्यु के बाद हीरालाल व चम्पालाल तथा उनकी मृत्यु के वाद हम प्रतिवादीगण व वादीगण उक्त आराजीयात के 1/2–1/2 हिस्से की आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग काश्त करते चले आ रहे है इसलिए कब्जा मुखालफाना के आधार पर 1/2 हिस्से की आराजीयात पर हम प्रतिवादीगण 3 लगायत 5 व 1/2 हिस्से की आराजीयात पर वादीगण खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है वाद पत्र की मद न0 5 अस्वीकार है, वाद पत्र की मद न0 6,7,8,9 कानूनी है, विशेष आपत्तियो मे हम प्रतिवादीगण 4 व 5 के दादा प्रतिवादीकम 3 के ससुर स्व. बद्रीलाल जी ने प्रतिवादी न0 1 बृजमोहन से उसके खाते एवम् कब्जे काश्त की ग्राम डोबडा तहसील सांगोद की 28 बीघा आराजी (केतवली) को बिल एवज 800 रुपये दिनांक 30.5.1961 को कय किया था,तथा उक्त आराजी के विकय की राशि 400 रुपये उसी दिन अदा कर दिये थे तथा कब्जा बद्रीलाल जी को उसी दिन संभला दिया था तथा विकय की शेष राशि 400 रुपये भी दिनाक 16.6.1964 को अदा कर दिये थे तथा उक्त आराजी कय करने के बाद से ही बद्रीलाल जी उक्त आराजीयात पर काबिज रहे है तथा बद्रीलाल जा के तीन लडके कमशः चम्पालाल,हीरालाल व तुलसीराम थे,जिनके तुलसीराम अविवाहित व लाऔलाद था इसलिए उक्त वर्णित आराजीयात पर बद्रीलाल जी की मृत्यु के बाद चम्पालाल व हीरालाल ने उक्त आराजीयात को काबिज होकर काश्त किया, चम्पालाल के वारिसान हम प्रतिवादीगण 3 ता 5 है,तथा हीरालाल के वारिसान वादीगण है जो उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात पर वादीगण 1/2 हिरूये पर तथा हम प्रतिवादीगण 3 लगायत 5, 1/2 हिस्से की आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है साथ ही स्व0 बद्रीलाल जी के द्वारा उक्त वर्णित आराजीयात को कय करने के बाद से बद्रीलाल जी व उनकी मृत्यु के बाद चम्पालाल व हीरालाल तथा उनकी मृत्यु के बाद हम प्रतिवादीगण 1/2 हिस्से की आराजीयात पर तथा 1/2 हिस्से की आराजीयात पर वादीगण काबिज होकर लगातार काश्त करते चले आ रहे है,हम प्रतिवादीगण 3 लगायत 5 के पिता चम्पालाल जी की मृत्यु के बाद हम प्रतिवादीगण उनके हिस्से मे आई आराजीयात ग्रम डोबडा व ग्राम चतरपुरा की आराजीयात पर आज भी काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, किन्तु वादीगण के मन मे बदनियती आ जाने से वे हम प्रतिवादीगण 3 लगायत 5 को ग्राम डोबडा की आराजीयात जिसके 1/2 हिस्से पर हम प्रतिवादीगण का हक एवं हिस्स निहित है तथा लगातार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है उक्त आराजीयात से बेदखल कर देना चाहते है,इसलिए वादीगण ने यह वाद हम प्रतिवादीगण 3 लगायत 5 की लाइल्मी मे पेश किया है जिसके आधार पर वादीगण को सम्पूर्ण आराजीयात के बाबत किसी प्रकार के अधिकार हांसिल नही होते हे बल्कि वादीगण व हम प्रतिवादीगण उक्त वर्णित आराजीयात 1/2–1/2 हिस्से की आराजीयात के मालिक व स्वामी होने से वादीगण 1/2 हिस्से व हम प्रतिवादीगण 1/2 हिस्से के हकदार होने तथा कय करने से वर्तमान मे भी वादीगण व हम

.........4

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण 3 लगायत 5 काबिज होकर काश्त करते चले आने से खातेदार कृषक घोषित करवाने के अधिकारी है जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम अवधि मध्य उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है, जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे तथा वाद पत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम डोबडा तहसील सांगोद की ख.न.550 की 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 551 की रकबा 0.36 हैक्टर खसरा नम्बर 552 की रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 553 की रकबा 3.91 हैक्टर कुल किता 4 की कुल रकबा 4.50 हैक्टर की आराजीयात से प्रतिवादी नं0 1 बृजमोहन का नाम खाते से खारिज कर वादीगण एवम् प्रतिवादीगण 3 लगायत 5 को खातेदार घोषित किये जाने की डिकी पारित फरमाई जावे,वादीगण एवम् प्रतिवादीगण 3 लगायत 5 के बीच उक्त आराजीयात का अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी का विभाजन करते हुए 1/2 हिस्से की आराजीयात का अलग से हम प्रतिवादीगण 3 लगायत 5 के अलग से खाते दर्ज कर अलग से राज लगान अंकन फरमाया जावे, जो शामिल पत्रावली है जिसका वादी के द्वारा दिनांक 8.7.2012 को काउन्टर क्लेम का जवाबुल जवाब पेश हुआ, जो इस प्रकार है:-जवाब मय काउन्टर क्लेम की मद नम्बर 1 स्वीकार है,जवाब मय काउन्टर क्लेम की मद नम्बर 2 जेसै लिखी गई है वैसे स्वीकार नही है, जवाब मय काउन्टर क्लेम की मद नम्बर 3 स्वीकार नही है बदरीलाल जी की मृत्यु के उपरान्त इनके पुत्र हीरालाल ने आराजी को काश्त किया है, चम्पालाल ने आराजी पर कोई काश्तगारी नही की है,जवाब मय काउन्टर क्लेम की मद नम्बर 4 जेसा लिखा गया है स्वीकार नही है बदरीलाल जी की मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र हीरालाल ने आराजी को काश्त किया है, उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसान वादीगण आराजी को काश्त करते चले आ रहे है चम्पालाल का आराजी पर कभी कोई कब्जा नही रहा है और नाही कभी काश्त भी की हो आज दिन तक वादीगण आराजी को काश्त करते चले आ रहे है,जवाब मय काउन्टर क्लेम की मद नम्बर 5 स्वीकार नही है, जवाब मय काउन्टर क्लेम की मद नम्बर 6,7,8,9 कानूनी है,विशेष आपत्तियो मे निवेदन किया है कि जवाब मय काउन्टर क्लेम की मद न01 जैसे लिखा गया है, स्व0 बद्रीलाल जी ने प्रतिवादी न0 1 बृजमोहन से उनके कब्जे काश्त की ग्राम डोबडा तहसील सांगोद की 28 बीघा आराजी 800 रुपये मे कय किया था,उक्त आराजी के विकगय के 400 रुपये बद्रीलाल जी ने अदा कर दिये थे,उसी दिन बद्रीलाल जी को कब्जा संभला दिया था,शेष राशि 400 रुपये चुकता अदा कर दिये थे,उक्त आराजी कय करने के बाद बद्रीलाल जी काबिज रहे बद्रीलाल जी के बाद केवल उनके पुत्र हीरालाल काबिज होकर आरजी को काश्त किया स्वीकार है बाकी इबारत अस्वीकार है, हीरालाल के बाद उनके वारिसान वादीगण आराजी पर काबिज होकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है,जिसका राजकर्ता(लगान) भी वादीगण प्रतिवर्ष नियम पूर्वक जमा कर रहे है, चम्पालाल ने कभी आराजी पर काश्त नही किया है और ना उनके वारिसान ने इस आराजी को काश्त किया है,चम्पालाल के वारिसान प्रतिवादीगण नम्बर 3 लगायत 5 गांव मे रहते बसते नही है, गांव बामला मे निवास करते है उनका विवादित आराजी पर कोई कब्जा नही है, जवाब एवं काउन्टर की विशेष आपत्तियो की मद न0 2 जिस तरह लिखा गया स्वीकार नही है,चम्पालाल हमेशा बीमार रहते थे,उनके जीवित रहते हुए, उन्होने कोई काम नही किया ना जमीन पर काश्त की उनकी पत्नि प्रतिवादी कम 3 इन्द्रा बाई उनकी बीमारी हालत को देखते हुए उनके जिवित अवस्था मे उनके पीहर बामला मे ज्यादातर निवास करती थी कभी कभी गांव मे आती थी इन्द्राबाई ने अपने पीहर बामला मे दोनो बच्चो प्रतिवादी नम्बर 4 व 5 को जन्म दिया जब से अपने पीहर बामला मे निवास कर रही है,गांव मे आकर विवादित आराजी पर काश्त नही की इसलिए आज दिन तक विवादित आराजी के किसी भी हिस्से पर उनका कब्जा नही है सम्पूर्ण आराजी पर वादीगण का कब्जा है, जो अपने दादा स्व0 बद्रीलाल जी के समय से जानकारी मे हे और पिता हीरालाल के समय से विवादित आराजी पर काश्त करते चले आ रहे है,इस पर चम्पालाल के वारिसान प्रतिवादी नम्बर 3 लगायत 5 का कोई अधिकार नही है,और ना ही खातेदारी अधिकार घोषित कराने के अधिकारी है, वादीगण के द्वारा जवाबुल जवाब पेश कर निवेदन किया की ग्राम डोबडा तहसील सांगोद की ख.न.550 की 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 551 की रकबा 0.36 हैक्टर खसरा नम्बर 552 की रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 553 की रकबा 3.91 हैक्टर कुल किता 4 की कुल रकबा 4.50 हैक्टर पर वादीगण को खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जावे, जो शामिल पत्रावली है,दिनांक 23.10

..........5

उपखण्ड अधिकारी

2012 को प्रतिवादी नम्बर 1 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब नही देने से जवाब दावा बन्द किया,दिनांक 31.5.2013 को तनकीयात कायम की गई,जो इस प्रकार है, तनकी नम्बर 1 आया वादीगण को दावे की मद नम्बर 1 मे वर्णित आरजीयात पर जायद अज 50 वर्षो से कब्जा ए मुखलफाना हांसिल है–वादीगण तनकी नम्बर 2 आया प्रतिवादीगण 3 लगायात 5 दावे की मद नम्बर 1 मे वर्णित आराजीयात का 1/2 हिस्सा अपने खाते दर्ज करवाने के पात्र है–प्रतिवादीकम3 ता 5 तनकीयात 3 सहायता कायम की गई दिनांक 5.7.2013को साक्ष्यवादी पी.डब्लु1(पुरुषोत्तम)व पी.डब्लु. 2( जानकीबाई) के बयान पेश किये गये,बयानो की प्रति प्रतिवादीगण को दी गई प्रतिवादीगण को जिरह के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद वकील प्रतिवादीगण की जिरह दिनांक 23.10.2015 को बन्द की गई,दिनांक 8.6.2018 को वादीगण व प्रतिवादी कम 3 ता 5 के मध्य माल ग्राम डोबडा तहसील सांगोद की ख.न.550 की 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 551 की रकबा 0.36 हैक्टर खसरा नम्बर 552 की रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 553 की रकबा 3.91 हैक्टर कुल किता 4 की कुल रकबा 4.50 हैक्टर की विवादित आराजीयात पर वादीगण 2/3 हिस्से पर व प्रतिवादी कम 3 ता 5 उक्त आराजीयात के 1/3 हिस्से का राजीनामा होने से बैरुन अदालत राजीनामा पेश हुआ जिसे दिनांक 28.7.2021 को राजीनामा तस्दीक किया गया,दिनांक 26.7.2023 को प्रतिवादी कम 1 को न्यायालय द्वारा बार बार आवाज लगाई परन्तु प्रतिवादी कम 1 ना तो स्वंय उपस्थित हुआ और नाही प्रतिवादीकम 1 की और से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ,माननीय न्यायालय के द्वारा प्रतिवादी कम 1 की अनुपस्थिती के कारण प्रतिवादी कम 1 के विरुद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई, इसके बाद दिनांक 26.9.2024 को तहसीलदार सांगोद से विवादित आराजीयात की मौका रिर्पोट मंगवाई गई,जो शामिल पत्रावली है,उक्त विवादग्रस्त आराजीयात पर तहसीलदार सांगोद की मौका रिपोर्ट के आधार पर वादीगण का उक्त आराजीयात पर 2/3 हिस्से पर काबिज व प्रतिवादीकम 3 ता 5 का 1/3 हिस्से पर काबिज होना प्रमाणित होता है, इस पर दावा वादी डिकी करने की सहमति व्यक्त की है तथा उभय पक्षकारान द्वारा प्रकरण मे राजीनामा प्रस्तुत कर मुताबिक वाद दावा डिकी करने का निवेदन किया, राजीनामा पक्षकारान तस्दीक किया गया वादीगण की पहचान श्री चेतन प्रकाश सुमन एडवोकेट द्वारा व प्रतिवादीगण 3 ता 5 की पहचान श्री बाबू लाल अरविन्द एडवोकेट के द्वारा की गई ऐसी परिस्थितियो मे पत्रावली पर उपलब्द पक्षकारो के अभिवचनो,रिकोर्ड ,दस्तावेजात उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर दावा वादी अन्तिम डिकी के रुप मे स्वीकार करना न्योचित समझता हूं।

अतः दावा वादीगण राजीनामा के आधार पर स्वीकार करने के आदेश पारित किये जाते है कि माल ग्राम डोबडा तहसील सांगोद की ख.न. 550 की 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 551 की रकबा 0.36 हैक्टर खसरा नम्बर 552 की रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 553 की रकबा 3.91 हैक्टर कुल किता 4 की कुल रकबा 4.50 हैक्टर की विवादित आराजीयात पर वादीगण का संयुक्त 2/3 हिस्से पर व प्रतिवादी कम 3 ता 5 उक्त आराजीयात के 1/3 हिस्से के राजीनामा होने से खातेदार कृषक उपरोक्त हिस्से अनुसार घोषित किये जाते है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में नियमानुसार पंजीयन शुल्क वर्तमान बाजार मूल्य से जमा होने के उपरान्त ही निर्णय की पालना की जावे। अंतिम डिकी अलग से मुर्तिब की जाती है,उक्त अनुसार हिस्से को खाते के राजस्व रिकोर्ड मे अमल दरामद फरमाया जावे।

निर्णय आज दिनाक ....20/01/2025.... मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रामअवतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

Scanned with OKEN Scanner